TENDER DOCUMENT

FOR

SECURITY SERVICES

BUREAU OF INDIAN STANDARDS NIT BUILDING, 2ND FLOOR, GOKULPETH, NAGPUR - 440010.

TEL: 0712-2565171

FAX: 0712-2554267

Price: 200/-

BUREAU OF INDIAN STANDARDS NIT BUILDING, 2ND FLOOR, GOKULPETH, NAGPUR – 440010. TEL: 0712-2565171

FAX: 0712-2554267

Our Ref : NGBO/Admn. SG(10)/17/2015-16 14 October 2015

TENDER NOTICE FOR SECURITY SERVICES

BUREAU OF INDIAN STANDARDS, NAGPUR invites sealed tenders under two-bid system from reputed and experienced agencies for providing Security Services at the above address.

The interested agencies are required to submit the technical and financial bids separately. The bids in Sealed Cover-I containing "Technical Bid" and another Sealed Cover-II containing "Financial Bid" should further be placed in a third sealed cover superscripted "Tender for Security Services" and should reach BIS, NBO by 15.00 hrs on or before 18.11.2015. The bidders may send their bid(s) either through speed post or courier or alternatively they may also drop their bid document in the tender box kept at the security booth (Main entrance of the office) by the last date and time. The technical bids shall be opened on the last day of receipt of tenders at 16.00 hrs in Conference room of admn block of BIS, Nagpur in the presence of the authorized representatives of the bidders.

After technical evaluation of bids, the financial bids shall be opened of only those bidders who qualify in technical evaluation for which check-list is given in Annexure-IV. The intimation of opening of financial bids shall be given over phone to technically qualified bidders. They are advised to write their current phone number in the technical bids, and also on attendance sheet at the time of opening of technical bid(s).

The tender document containing eligibility criterion, scope of work, terms & conditions to be purchased from BIS, Nagpur Branch Office. The bid security (EMD) of Rs. 2,000.00 (Rupees fifty Thousand only) should be paid by Demand Draft in favour of BUREAU OF INDIAN STANDARDS payable at Nagpur.

The criterion of selection as well as rejection is defined in Annexure – 'A' of the tender document. The bid shall remain valid for 90 days from the date of opening of Technical bid.

Section Officer Administration

APPLICATION LETTER (Specimen)

Scientist "F" & Head Bureau of Indian Standards, 2nd Floor, NIT Building, Gokulpeth, Dist – Nagpur 440010 (MS)

Dear Sir,

Having acquired the requisite information related to the subject work after visit of the site and examining the form of contract, nature, quantum of work as effecting the tender invited by on behalf of the Bureau of Indian Standards, Nagpur. I/We, the undersigned hereby offer to undertake the contract of SECURITY SERVICES strictly in accordance with the terms and conditions as indicated by you in the said documents.

We also agree to submit the bill on monthly basis and accept the payment to the workers as per the Minimum wages declared by the Government of state of Maharashtra State from time to time. I/We also agree for the compliance of applicable Labour and other Laws in force and other Govt. orders. All workers engaged by me/us would be suitably compensated by me/us complying with Minimum Wages act as applicable vide Government of state of Maharashtra State's orders from time to time. All other payment like payments under Workmen Compensation Act etc. shall be borne and payable by me/us. I/We will always keep the Bureau indemnified of any claim/damages that BIS, Nagpur have to pay with respect to the service and the deputation of any labourers to the Bureau.

The Bureau reserves the right to reject any or all the quotations or accept them in part or to reject the lowest quotations without assigning any reasons. The Bureau further reserves the right to terminate the contract during its tenure at any time without assigning any reasons.

I/We further pay and have enclosed Earnest Money amounting to Rs. 2,000/- (Two Thousand only) in the form of Demand Draft/Pay Order drawn in favour of Bureau of Indian Standards payable at Nagpur, along with the Technical Bid which will remain with BIS upto final award of contract. However, no interest shall be payable on Earnest money. Earnest money of successful bidder shall be adjusted against the security deposit.

Thanking you,

Yours faithfully,

Name of the partner with Seal of the Firm

Or

Name of person having Power of Attorney to sign the contract. (Copy of the Power of Attorney to be submitted which will be compared with the original in case the tender is awarded)

TENDER DOCUMENT

Subject: QUOTATION FOR PROVIDING SECURITY SERVICES AT BUREAU OF INDIAN STANDARDS, 2nd Floor, NIT Building, Gokulpeth, Dist – Nagpur

ENVELOPE-1: TECHNICAL BID (In separate sealed Cover-I superscripted as Technical Bid)

Name of the work: Contract for Providing of Security Services in BIS, Nagpur.

CONTENTS AND ELIGIBILITY CRITERIA

Technical Bid of Tender Document:

- 1. The Tenderer/Bidder shall have <u>at least 03 years experience</u> in these fields and shall submit the **self attested copies** of the following documents along with the tender documents:
 - a) License under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 and the Rules framed there under by the respective state govt.
 - b) PF Registration with PF code number.
 - c) ESI Registration
 - d) Valid Licence issued by Regional Labour Commissioner (i.e. Govt. of MS).
 - e) Details of works of similar nature carried out in Central/State Govt. bodies/Department/PSUs/Autonomous bodies/industries/factories/or other similar organization. In the last 3 years ending on 31 March 2013.
 - f List of Arbitration cases (if any) Undertaking
 - g Copies of certificates/allotment letter of Service Tax and PAN Number.
 - h Details of managerial, proprietorship Undertaking
 - i Undertaking of the agency confirming the availability of the adequate manpower of requisite qualification and experience for deployment at Nagpur- Undertaking
 - j Copy of Last income tax return.
 - k Other documents as mentioned in the check-list(annexure-IV).
- 2. Certificates provided for the works detailed in 1e) above shall clearly indicate the scope and nature of work undertaken and the value of various components of work as executed, in order to confirm conformity to the defined similar works.
- 3. Number of Security personnel required are given in **Annex-I**
- 4. Tenderer/bidder shall submit details of organizations, where he has undertaken such security services as per Annex-II.
- 5. General Terms and Conditions of the Contract to be fulfilled by the Tenderer/Bidder are given in Annex-III and the bidder shall submit it with technical Bid duly signed on each page in lieu of agreeing to them.
- 6. Tenderer/bidder shall submit details **as per check-list given in Annex-IV** along with Technical Bid

- e) 7. The bidder may be a proprietary firm, Partnership firm, Limited Company, Corporate body legally constituted, empanelled/registered firms with DGR who possess the required licenses and registrations such as License under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 and the Rules framed there under by the respective state govt. etc as per law and valid on the last date of submission of the bid.
- 8. The bidder should have an office in any district of Vidarbha (MS)
- 9. There should be no case pending with the police against the proprietor/firm/partner or the company (Agency). The firm should give such an undertaking with their bid.
- 10. The bidder shall pay Bid Security (EMD) of Rs.2,000.00 (Rupees Two Thousand only) along with the technical bid by demand draft in favour of BUREAU OF INDIAN STANDARDS drawn on any commercial bank and payable at Nagpur. Bids received without Earnest Money deposit (EMD) shall stand rejected and thus shall not be considered for evaluation etc at any stage. The bid security without interest shall be returned to the unsuccessful bidders after finalization of contract.
- 11. The EMD deposited by successful agency will be adjusted towards Security deposit as demanded above. If the successful bidder fails to furnish the difference amount between Security Deposit and EMD within 15 (fifteen) days after the issue of letter of award of work, his bid security shall be forfeited unless time extension has been granted by BIS, Nagpur.
- 12. The bid shall be valid and open for acceptance of the Competent Authority of BIS, Nagpur for a period of 90 days from the date of opening of the tenders and no request for any variation in quoted rates and withdrawal of tender on any ground by successful bidder shall be entertained.
- 13. An agreement shall be signed with the successful bidder as per specimen enclosed.
- 14. Counter Terms & conditions will not be accepted as also any additions/deletions or change in our format will not be allowed.
- 15. All entries in the Tenders must be written in ink or typewritten. Over-writing should be avoided. Corrections if any should be attested with signature by the bidder.
- 16. Tenders received late (including postal delay)/in open condition/without EMD/not meeting the tender condition/incomplete in any respect are liable to be rejected.
- 17. Bidders are advised to study carefully the tender documents and the conditions before quoting their bid. All the pages of the tender form should be signed by the bidder as a token of acceptance.
- 18. The rates should be indicated both in words and figures. In case of discrepancy between the figure (number) and words, the rates given (including service tax in the bid) in the words only will be taken as authenticate and no further clarification will be sought from the bidder.

- 19. No party shall be permitted to tender for work in the BIS, Nagpur, in which any of their near relatives is an employee connected with the award and execution of the contract. They shall also intimate the names of persons who are working with them in any capacity or subsequently employed by them and who are near relatives of any employee of the BIS or in the State or Central Government. Any violation of this condition which comes to the Notice of the BIS, Nagpur, after the contract is awarded will entitle the BIS to treat the contractors as having committed a breach of contract and to exercise all the rights and remedies available to the BIS on account thereof.
- 20. The Earnest Money is liable for forfeiture in the event of : (a) withdrawal of offer during the validity period of the offer, (b) Non-acceptance of orders when placed, or (c) Non confirmation of acceptance of orders within the stipulated time after placement of offer., (d) Any unilateral revision made by the bidder during the validity period of the offer.
- 21. The contractor should maintain all the records and documents under various labour laws applicable to contract labours/personnel and also Shops & Establishment Act/Rules applicable to his/her establishment and make them available at the BIS, Nagpur, at all times. Indicative list of such records is given for example: (a) Register for Workmen, (b) Employment card (to be issued to workers), (c) Muster Roll, (d) Register for wages, (e) wage slip, (f) OT register etc.
- The above records and the following returns filed by the contractor have to be produced to the Admn. Department of BIS, Nagpur on demand and original/photocopies of these records should be handed over after completion of the contract.
 - (a) Return in form 5, 10 & 12 A which is submitted monthly under the provisions of the Employees' Provident Funds & MP Act, 1952.
 - (b) Summary of contribution (form 5) under sec. 44 Regulation 25 of the ESI Act, 1948. also the return filed under sec. 44, Regulation 26 of the said act along with the monthly return.
 - (c) Half yearly return in form XXIV under Rule 82(1) of the Contract Labour (R&A) Act, 1970.
 - (d) Annual return filed in form 3A/6A under the Employee's Provident Funds & MP Act, 1952.
 - (e) Annual Return in form III Rule 21(4 A) of the Minimum Wages Act, 1948
 - (f) Any other applicable return.
- The contractor should obtain a Licence from Central Labour Commissioner to engage the Contract labour/personnel at BIS, Nagpur, as per Contract Labour Act within a period of one month from the date of award of contract by the BIS, Nagpur,.
- The contractor shall ensure that the payment of wages to his workmen deployed for carrying out his contractual obligations shall not be less than the minimum wages prescribed by **Government of Maharashtra** from time to time, as applicable during the contract period. As and when the wages are revised by the **Government of Maharashtra**, the revised wages shall be paid by this office.
- The contractor should ensure payment of wages to his workmen on or before 7th of every succeeding month. The payment of wages will be made in the presence of an authorized representative of BIS, Nagpur, at a place and time notified for the purpose.
- 26. The wages shall be paid to workmen without any deduction except those under the payment of Wages Act and Minimum wages Act.

- 27. The Contractor should ensure that his workmen are granted Holidays/Leave with wages as per applicable Act/Rules.
- 28. The BIS, Nagpur, reserves its rights to withhold bills, if the contractor fails to produce proof for having remitted the ESI/PF dues. The payment for successive months will be released on receipt of the evidence of deposition of ESI/PF in the worker's account for previous month.
- 29. The Contractor has to submit the attested photocopies of his voter ID, PAN, residential address, educational qualifications etc. He should also give the list of his sons and relatives who are working in this office as sub-contractors or the labourers. If there is no such thing, the contractor has to give an undertaking to this effect.
- 30. If any of the personnel of the contractor indulges in theft or any illegal/irregular activities, misconduct, the contractor will take appropriate action as per law and rules against its erring personnel in consultation with this office and intimate the action taken to this office. If need be, an FIR should be lodged against the erring personnel. Such personnel who indulges in such type of activities, should not be further employed in this office by the contractor in any case.
- 31. Whenever there is a duplication of clause either in the terms and conditions or in the agreement, the clause which is beneficial to the BIS, Nagpur, will be considered applicable at the time of any dispute/following any statutory rules.
- Contract Agreement should be executed within 21 days of the issue of letter of acceptance. Non fulfillment of this condition of executing a contract by the contractor would constitute sufficient ground for annulment of the award and forfeiture of EMD.
- Late bids i.e. bids received after the specified date and time of receipt, shall not be considered.
- The resultant contract will be interpreted under Indian Laws.

Declaration by the Tenderer:

This is to certify that I/We before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them.

Encls: 1. DD/Pay Order No.....

- 2. Terms & conditions (each page must be signed and stamped with the seal)
- 3. Financial Bid.

(Signature of Tenderer with seal)

Name: Seal: Address:

Date: Phone No (O):

NOTE: Submission of all the documents mentioned above along with declaration, is mandatory.

Non submission of any of the documents above will render the bid to be rejected.

SECURITY PERSONNEL SERVICES REQUIRED AT BIS, Nagpur,

SL.NO.	DESCRIPTION	NO. OF PERSONNEL
1	Semi skilled Security Guards (Minimum 10 th Standard	01
	Passed)	

ANNEX-II

Details of other organizations where security contracts undertaken during last three years (enclose supporting documents).

Proforma containing details of other organization where security contracts were undertaken.

Sl.No.	Name &	No. of	Period	Whether Govt/semi	Amount	Reason for
	Address of	security	of	Govt/Autonomous	of	termination
	the	personnel	contract	bodies/PSUs/Industries/NGOs	contract	(if
	organization,	supplied		etc. (pl specify)		currently
	contact No					not valid)
1						
2						
3						

This information to be given in "Envelope No. 1 Technical Bid for Annual Contract for providing of SECURITY SERVICES

TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT FOR SECURITY SERVICES (Annexure to Agreement)

A. SCOPE OF WORK: Providing security services at Bureau of Indian Standards, 2nd Floor, NIT Building, Gokulpeth, Dist – Nagpur 440010 (MS) by deploying required number of security personnel.

B. TERMS & CONDITIONS:

- 1. The said contract will be initially for a period of one year commencing from the date of signing the contract which may be extended further for a maximum period of one year with same terms & conditions subject to mutual consent of both the parties and subject to satisfactory performance of contract. However, in normal circumstances the Agreement is terminable by giving two month notice in writing by either party to the agreement.
- 2. The Contracting Agency shall render the following Security services at the premises of BIS, Nagpur:
 - a) To provide security for employees, BIS property like material/equipment, installation and buildings, other structure etc in BIS, Nagpur.
 - b) To arrange/assist the regular staff of BIS, Nagpur in opening & closing of the buildings and rooms before & after office hours as necessitated/directed by the Bureau on working and closed days;
 - c) To ensure that doors/windows, electric bulbs, fans, ACs, water taps etc. are not left open after the working hours on working days as well as on off days, as the case may be; Also to ensure that all outdoor lights are switched on in the evening and switch off on sunrise;
 - d) Arrangement regarding maintenance and record of inward and outward movement of men and material and having proper check on the same as per the instructions given by the Bureau from time to time;
 - e) Checking of all incoming/outgoing vehicles thoroughly to check and track movement of unauthorized items inside and outside BIS;
 - f) Ensure the entrance of only authorized persons (BIS employees and others personnelengaged for providing services). Visitors may enter only through visitor slip as per approved procedure with proper entry at the gate and to meet concerned officials only. It should also be ensured that this duty is discharged sincerely with firm but decent behaviour.
 - g) The security personnel deployed shall take regular rounds of the premises to maintain vigil and remain alert.
 - h) Keeping the Bureau informed of all the matters of security and house keeping;
 - i) To keep the management informed of all security matters, intelligence or labour union meetings, etc.
 - j) To assist in samples handling, etc.

3. The Security supervisor and security guards will be given duties as under:

There is need for the overlap of time of duties of security personnel to ensure that no post is without any guard during the period of change of shift of the security personnel.

Sl. No	Duty point & duty time	Booth at Main Gate	
1	9.30 hrs- 18.00 hrs	1	

Note: The Security Agency should give a commitment to provide a Lady Guard for short period/specific service, as and when required in future.

The guards shall leave their duty posts only after the reliever takes charge of the post. However, the above arrangements of the security personnel is without prejudice to the right of BIS, Nagpur to deploy the security personnel in any other manner considered to be more suitable in the interest of the Bureau.

- 4. The security personnel deployed shall be healthy and active. Nobody shall have any communicable diseases.
- 5. The security personnel deployed shall be smartly dressed in Agency's proper uniform and always with Identity Card. The agency shall provide fully trained and disciplined personnel.
- 6. The Supervisor as well as security guards shall preferably be Ex-serviceman or properly trained in Security related work including fire fighting. They should be trained to operate various fire controlled equipments installed at BIS, Nagpur.
- 7. The contractor shall bear all expenses regarding uniforms, preparation of their Identity card, compensations, wages and allowances (DA), PF, ESI, as applicable relating to security personnel engaged by him and abide by the provisions of various labour legislation including weekly off and working hours. The Contractor shall pay the wages to the security personnel on or before the 7th of every succeeding month, irrespective of delay in payment of Bill by the Bureau for whatever reason. Wages payable shall not be less than the minimum wages payment as declared by the Government of Maharashtra from time to time for semi skill; The contractor shall also quote his rate of service charges in addition to the wages to be paid to his workers. Contractor shall submit workers EPF number and proof of submission of EPF, ESI etc as applicable every month for the last month with respect to all employees deployed by him at BIS, Nagpur, and in case of any difference in the amount for which documentary evidence has not been provided, BIS Nagpur has the right to deduct the amount accordingly from the bills. While depositing the applicble ESI and EPF amount in the account of respective worker, it shall be the sole responsibility of the contractor to comply with all the prescribed provisions of Labour Rules/Laws and Act. Further, the security agency shall specifically ensure compliance of various Labour Laws/Acts including but not limited to with the following and their reenactments/ amendments/modifications. The BIS, Nagpur, reserves its rights to withhold bills, if the contractor fails to produce proof for having remitted the ESI/PF dues. The payment for successive months will be released on receipt of the evidence of deposition of ESI/PF challan, bank passbook etc. in the worker's account for previous month.

- a) The payment of wages Act 1936
- b) The Employees Provident Fund Act, 1952
- c) The Factory Act, 1948
- d) The Contract Labour (Regulation) Act, 1970
- e) The Employees State Insurance Act, 1948
- f) The Employment of Children Act, 1938
- g) The Motor Vehicle Act, 1988
- h) The Minimum Wages Act, 1948
- 8. Replacement of personnel as required by the Bureau will be effected promptly by the Contractor; if the contractor wishes to replace any of the personnel, the same shall be done after consultation/approval of with the Bureau. The full particulars of the personnel to be deployed by the contractor including the names and address shall be furnished to the Bureau along with testimonials before they are actually deployed for the job. However with respect to substituted personnel, payment of their ESI & EPF will be considered by the Bureau subject to documentary evidence provided by the contractor in this regard. The same terms and conditions of agreement shall also be applicable to the substitute worker, and the contractor shall have to submit the complete details including EPF and ESI account of such worker.
- 9. Security personnel shall take instruction from authorized person from time to time and for any other details of work that may be decided and indicated by the Bureau at the time of finalization of contract or later on;
- 10. a) Equipments, such as, tell-tale clocks, torch lights, stationary, lamps, lighting arrangements will be provided by the Bureau; and
 - b) Security contractor's registered office shall be within vidarbha region of (MS).
- In case of any loss that might be caused to the Bureau due to lapse on the part of the Security personnel discharging security responsibilities, the such loss shall be compensated by the contracting Agency and in this connection, the Bureau shall have the right to deduct appropriate amount from the bill etc. to _______make good of such loss to the Bureau besides imposition of penalty. In case of any deficiencies/lapses on the part of the security personnel deployed by the contractor, the Bureau shall be within its right to terminate the contract forthwith or take any other action without assigning any reason whatsoever.
- 12. In case of a death or mishap occurred during discharging the duty, the compensation liability will solely rest with the Contractor.
- 13. In case of any thefts or pilferages, loss or other offences, the contractor will investigate and submit a report to the Bureau and maintain liaison with the Police. FIR will be lodged by the Bureau, wherever necessary, if need be joint enquiry comprising of both the parties shall be conducted and responsibility be fixed/pinpointed;
- 14. Preference may be given to the contractor(s) having valid Quality System Certificate as per ISO 9001 in case of same rates.

- 15. a) That the contractor undertakes to ensure that security staff appointed by them is fully loyal-to and assist the Bureau during normal periods as well as during strike and other emergencies for the protection of personnel and property both moveable and immoveable to the entire satisfaction of the Bureau;
 - b) Contractor's authorized representative(Owner/Director/Partner/Manager) shall personally contact Scientist "F" & Head of the BIS, Nagpur or the office in charge of Administration at BIS, Nagpur once a month to get a feedback on the services rendered by the contractor viz-a-viz corrective action required to make the services more efficient or any other related issue.
- 16. In the event of security personnel being on leave/absent, the contractor shall ensure suitable alternative arrangement to make up for such absence.
- 17. (a) The successful bidder would have to deposit an amount of 10% of Annual contract of value towards security deposit through Demand Draft/pay order/FDR in favour of BIS, Nagpur which would remain with BIS during the contract period and no interest shall be payable on the Security amount.
 - (b) Any special security services such as investigation of cases, special intelligence screening and verification on requisition by the Bureau in accordance with its prevailing rates, will be undertaken by the contractor.
- 18. The contractor shall arrange to maintain at the security booth, the daily shift-wise attendance record of the security guards deployed by him showing their arrival and departure time. The attendance record shall be produced for verification on demand by the Bureau at any other point of time.
- 19. If at any point of time it come to the notice of the Bureau that the security guards deployed are different from the **list provided (with attested photographs)**, and for which no permission has been taken, Bureau will be well within its right to impose penalty not exceeding 10 % of monthly wages for each guard against the number of guards identified on duty.
- 20. The security Supervisor deployed by the contractor shall have at least High School passed qualification. In case of non-compliance/non-performance of the services according to the terms of the contract, the Bureau shall be at liberty to make suitable deductions from the bill without prejudice to its right under other provisions of the contract.
- 21. The contractor shall be solely liable for all payment/dues of the workers employed and deployed by him with reliable evidence provided to the Bureau. In the event, Bureau makes any payment or incurs any liability; the contractor shall indemnify the Bureau completely;
- 22. In case of any dispute arising out of this agreement then Head, BIS, Nagpur shall nominate any officer of the BIS a sole arbitrator to adjudicate upon the issue involved in the dispute and the provisions of the Arbitration Act shall be applicable.
- 23. In case of any dispute with regard to providing services and interpretation of any clause of the Agreement, Nagpur Court will have the jurisdiction to settle and decide all the disputes.

- 24. If at any point of time security personnel are found lacking on performing duty (e.g. sleeping during duty hours, not present on duty place, non compliance the instructions of Bureau verbally or in written etc), a suitable penalty shall be imposed not exceeding 10% of monthly wages payable to such guards by the contractor in respect to the concerned security personnel.
- 25. In addition to penalty clauses as mentioned in earlier clauses, the BIS, Nagpur is at the liberty to levy **liquidated damages**.
- 26. Income Tax TDS as per rules shall be deducted from the bills of the contractor/agency as per applicable laws.
- 27. As and when the Bureau requires additional security strength on temporary or emergency basis, the contractor will depute such security personnel in accordance with pro-rata rates. For the same, a notice of two days will be given by the Bureau.
- Forfeiture of EMD(Bid Security):-EMD may be forfeited in the following cases: (a) Bidder's withdrawing or altering its bid during the bid validity period., (b) withdrawal of offer during the validity period of the offer, (c) Non-acceptance of orders when placed, or (d) Non confirmation of acceptance of orders within the stipulated time after placement of offer., (e) Any unilateral revision made by the bidder during the validity period of the offer.
- Any violation of instructions/agreement or suppression of facts will attract cancellation of agreement without any reference.

Note: These terms and conditions are part of the Contract/Agreement as indicated in the Agreement between BIS, Nagpur and the Agency and any non-compliance shall be deemed as breach of

the Contract/Agreement.

CHECK-LIST (TECHNICAL BID)

SUMMARY OF COMPLIANCE TO REQUIREMENT OF TENDER

Sl.No.	Description of requirement	Yes/No	Page No
1	The firm is registered with the Regional labour		
	Commissioner(Government of Maharashtra state) under	Yes/No	
	provisions of contract labour Act.		
2		Yes/No	
3	Registration certificate of provident fund commissioner	Yes/No	
4	Copy of Registration certificate/allotment letter of service tax number	Yes/No	
5	Copy of Registration certificate/allotment letter PAN from Income Tax Department	Yes/No	
6	Registration certificate of ESI Yes/No	Yes/No	
7	Proforma as per <u>Annex II containing</u> details of other organization where security contracts were/are undertaken (attach supportive documents)	Yes/No	
8	DD of Rs.2,000/- as EMD	Yes/No	
9	Price bid proforma completed & sealed in separate envelope	Yes/No	
10	. List of Arbitratration cases (if applicable) Do not leave it blank. If there are no such cases, write "Not Applicable".	Yes/No	
11**	Undertaking of the agency confirming the availability of adequate manpower of requisite qualification and experience (in security & fire frightening) for deployment at BIS, Nagpur.	Yes/No	
12	Acceptance of terms and conditions as per Annexure III attached. Each page of terms and conditions to be duly signed as token of acceptance and submit as part of tender document.	Yes/No	
13	Copy of last income tax return	Yes/No	
14	Undertaking by the bidder to the effect that there is no police case pending against the proprietor/firm/parties relating to security service contract.	Yes/No	
15		Yes/No	
16	At least one currently valid contracts for similar work	Yes/No	
17	License under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 and the Rules framed there under by the respective state govt.	Yes/No	
18	Undertaking to the effect that the supervisor(s) to be deputed in BIS, Nagpur shall be trained in Security related work including fire fighting.	Yes/No	
19	Undertaking to the effect that the security personnel deputed to BIS, Nagpur shall have been screened by police verification.	Yes/No	
20**	Undertaking to the effect that sufficient 'leave reserve' of guards and supervisors shall be maintained by the Agency	Yes/No	
21	Proof of earlier completed similar works within last three years with value not less than 1.5 times the amount to be quoted to Bureau, duly certified by Chartered Accountant.	Yes/No	

22 Yes/No

- * If Not Applicable, please provide the details thereof.
- ** The selected bidder has to submit within 10 days of award of contract the attested photocopies of qualifications/experience of all the required persons whom he deploy at this office. Failing which the EMD and Security Deposit may be forfeited and the tender may be awarded to the next qualified lowest bidder for which the L-1 shall be solely responsible.

Declaration by the Tenderer:

Date:

This is to certify that I/We before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them.

Encls: 1. DD/Pay Order No	
2. Terms & conditions (each page must be signed and sealed)	
3. Financial Bid. (Signature of Tenderer with seal)	
	Name:
	Seal:
	Office Address:

NOTE: Submission of all the documents mentioned above along with declaration, is mandatory. Non submission of any of the documents above will render the bid to be rejected

Phone No (O):

..15.

(To be made on Rs.50.00 Non Judicial Stamp Paper)

DRAFT AGREEMENT

This Agreement is made on	day of	Two thousand Eleven between
Bureau of Indian Standards, 2 nd Floor, NIT	Building, Gokulpe	eth, Nagpur 440010, as one part,
hereinafter called NGBO and M/s		
Agency for providing Security Services on th	e other part.	

WHEREAS the BIS, Nagpur is desirous to engage the Agency for providing Security Services for BIS, at Nagpur on the terms and conditions stated below:

- 1. The agency shall be solely responsible for compliance to provisions of various labour. Industrial and any other laws applicable and all statutory obligations, such as, wages, allowances, compensations, EPF, ESI etc relating to security personnel deployed in BIS, Ngpur. The BIS, shall have no liability in this regard.
- 2. The Agency shall be solely responsible for any accident/medical/health related liability/compensation for the personnel deployed by it at BIS. The BIS, shall have no liability in this regard.
- 3. Any violation of instruction/agreement or suppression of facts will attract cancellation of agreement without any reference or any notice period.
- 4. The contract can be terminated by giving two month's notice on either side.
- 5. In case of non-compliance with the contract, the Bureau reserves its right to:
 - a) Cancel/revoke the contract, and /or
 - b) Impose penalty upto 10% of the total annual value of contract.
- 6. Security deposit equal to 10% of the Annual Contract Value (refundable without interest after two months of termination of contract) in the form of pay order/demand draft or bank guarantee shall be furnished at the time of signing of the Agreement.
- 7. The Agency shall be fully responsible for timely monthly payment of wages and any other dues to the personnel deployed in BIS, by 7th of every month in the presence of official of BIS, deputed for this purpose. Further, the agency while submitting their bill for payment shall also be responsible to submit documentary evidence of having submitted ESI and EPF amount (both employers and employee's contribution) in the respective account of the worker for the period for which bill is raised, copies of challans and worker's ESI account card/Certificate.
- 8. The security personnel provided by the Agency will not claim to become the employees of (BIS, Nagpur) and there will be no Employee and Employer relationship between the personnel engaged by the Agency for deployment in BIS.
- 9. There would be no increase in rates payable to the Agency during the contract period except reimbursement of the Statutory wages revised by the **Government of Maharashtra State**. As and when the wages are revised by the State govt. of Maharashtra, the revised wages shall be paid by this office.

- 10. The agency also agrees to comply with annexed **Terms and Conditions** and amendments thereto from time to time.
- Decision of BIS in regard to interpretation of the terms and conditions and the Agreement shall 11. be final and binding on the Agency.
- 12. The agency shall be responsible for providing uniform and Identity Cards to their workers.
- 13. In case of any dispute between the Agency and BIS, Nagpur. BIS, shall have the right to decide. However, all matters of jurisdiction shall be at the local courts located at Distt. Nagpur.
- Forfeiture of EMD(Bid Security):-- EMD may be forfeited in the following cases: (a) 14. Bidder's withdrawing or altering its bid during the bid validity period., (b) withdrawal of offer during the validity period of the offer, (c) Non-acceptance of orders when placed, or (d) Nonconfirmation of acceptance of orders within the stipulated time after placement of offer., (e) Any unilateral revision made by the bidder during the validity period of the offer.
- 15. Forfeiture of Security Deposit (Performance Guarantee):- Security Deposit (Performance Guarantee) may be forfeited, if services are not provided upto the satisfaction of BIS, Nagpur or the firm withdraws its offer during the period of contract which include the extended period of contract.

IN WITNESS WHEREOF both the parties have set and subscribed their respective hands with their Seal in Nagpur in the presence of the witness:

Bureau of Indian	Standard	s, Nagpur
------------------	----------	-----------

Witness:	1.
	2.
AGENCY	
Witness:	1.

2.

Subject: ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING OF SECURITY SERVICES

ENVELOPE- 2: PRICE BID

CONTENTS

- 1. Envelope No. 2 shall contain only Price Bid of Tender Document, i.e. the copy, of schedule of rates duly filled in and signed by the tenderer/bidder. Any commercial or technical condition or qualification of any sort shall not be indicated by the tenderer/bidder in this envelope, otherwise the tender shall be summarily rejected.
- 2. The format for providing Schedule of Rates to be filled by the tenderer/bidder is enclosed. This envelope shall be Superscribed "Envelope -2 Price bid-ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING OF SECURITY SERVICES"

SCHEDULE OF RATES (PRICE BID)

(To be enclosed with price bid in a separate cover market "Envelope 2")

Name of the work: Contract for Providing of Security Services in BIS, Nagpur.

SECURITY SERVICES

Sl. No	Description	Required No. of personnel	Rate/Wages (per month per person) in Rs. *	PF *	ESI *	Contractor's Profit (service charge)	Service Tax*	Total per person per month
1	Semi skilled Security Guard (Minimum High School Pass)							

* Quoted rates should not be less than the latest rates of minimum wages of semi skilled as prescribed by Government of state of Maharashtra's orders and as applicable. Bidders are advised to take into account all other factors of payments (like weekly off, notional holidays, etc.) while quoting their rates.

Declaration by the Tenderer:

This is to certify that I/We before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them.

Encls: 1. No other charges would be payable by BIS, Nagpur

2. There would be no increase in rates during the contract period except provision under the terms & conditions.

	(Signature of Tenderer with seal)
	Name:
	Seal:
	Address:
Date:	Phone No (O):

सुरक्षा सेवाओं

के लिए

निविदा दस्तावेज

भारतीय मानक ब्यूरो एनआईटी भवन, 2 मंजिल, GOKULPETH, नागपुर - 440,0101

दूरभाष: 0712-2565171

फैक्स: 0712-2554267

भारतीय मानक ब्यूरो एनआईटी भवन, 2 मंजिल,

संदर्भ:नाशाका/Admn. SG(10)/17/2015-16

14 अक्तूबर 2015

सुरक्षा सेवाओं के लिए निविदा सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर ऊपर दिए गए पते पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से दो बोली प्रणाली के तहत निविदाओं सील आमंत्रित करता है।

रुचि एजेंसियों अलग से तकनीकी और वितीय बोली प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। कवर-मैं "तकनीकी बोली" और "वितीय बोली" युक्त एक और सीलबंद लिफाफे-द्वितीय युक्त मुहरबंद में बोलियों के आगे पर 15.00 बजे तक भारतीय मानक ब्यूरो, एनबीओ तक पहुंच जाना चाहिए और 'निविदा सुरक्षा सेवाओं के लिए "superscripted एक तिहाई मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए या 18/11/2015 से पहले। बोलीदाताओं अपनी बोली (s) अंतिम तारीख और समय के द्वारा सुरक्षा बूथ (कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार) पर रखा है कि वे भी टेंडर बॉक्स में अपनी बोली दस्तावेज छोड़ सकते स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से या वैकल्पिक रूप से या तो भेज सकते हैं। तकनीकी बोलियां बोली लगाने वालों की अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर प्रशासन ब्लॉक के सम्मेलन कक्ष में 16.00 बजे निविदाओं की प्राप्ति के अंतिम दिन पर खोला जाएगा।

बोलियों की तकनीकी मूल्यांकन के बाद, वित्तीय बोली जांच सूची अनुबंध- IV में दी गई है, जिसके लिए तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता, जो केवल उन बोलीदाताओं का खोला जाएगा। वित्तीय बोलियां खुलने की सूचना तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को फोन पर दी जाएगी। वे तकनीकी बोली (एस) के उद्घाटन के समय उपस्थिति पत्रक पर भी तकनीकी बोली में अपने वर्तमान फोन नंबर लिखने की सलाह दी है, और कर रहे हैं।

पात्रता मानदंड, काम, नियम व शर्तों के दायरे से युक्त निविदा दस्तावेज भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर शाखा कार्यालय से खरीदा जा करने के लिए। रुपये की बोली सुरक्षा (ईएमडी)। 2,000.00 रुपए (पचास हजार केवल) नागपुर में देय भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन के साथ ही अस्वीकृति की कसौटी निविदा दस्तावेज के अनुबंध -'A 'में परिभाषित किया गया है। बोली तकनीकी बोली के उद्घाटन की तिथि से 90 दिनों के लिए वैध रहेगा।

अनुभाग अधिकारी प्रशासन

सेवा में

आवेदन पत्र (नमूना)

वैज्ञानिक 'एफ' और हेड भारतीय मानक ब्यूरो, 2 तल, एनआईटी बिल्डिंग, गोकुलपेठ जिला - नागपुर 440,010 (एमएस)

श्रीमान,

साइट के लिए यात्रा और अनुबंध, प्रकृति, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर की ओर से द्वारा आमंत्रित निविदा प्रभावशाली के रूप में काम की मात्रा के रूप की जांच के बाद इस विषय से संबंधित काम अपेक्षित जानकारी हासिल कर ली बीत रहा है। मैं / हम, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा कहा दस्तावेजों में आप से संकेत के रूप में कड़ाई से नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा सेवाओं के अनुबंध को शुरू करने की पेशकश करते हैं।

हम यह भी मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करने और समय-समय पर महाराष्ट्र राज्य के राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार श्रमिकों को भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। मैं / हम भी लागू श्रम और बल और अन्य सरकार में अन्य कानूनों के अनुपालन के लिए सहमत हैं। आदेश। मेरे द्वारा लगे सभी कार्यकर्ताओं / हमें उपयुक्त रूप से मेरे द्वारा मुआवजा दिया जाना होता है / हमें न्यूनतम मजदूरी के साथ पालन कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि के तहत भुगतान की तरह अन्य सभी भुगतान वहन किया जाएगा .. समय-समय पर महाराष्ट्र राज्य के आदेशों के राज्य के रूप में लागू ख़बरदार सरकार अधिनियम और मेरे / हमारे द्वारा देय। मैं / हम हमेशा किसी भी दावे / भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर सेवा के लिए सम्मान और ब्यूरो के लिए किसी भी मजदूरों की प्रतिनियुक्ति के साथ भुगतान किया है कि नुकसान की क्षतिपूर्ति ब्यूरो रखेंगे।

ब्यूरो किसी एक या सभी मूल्य अस्वीकार कर या भाग में उन्हें स्वीकार करते हैं या बिना कोई कारण बताए न्यूनतम कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ब्यूरो आगे बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अपने कार्यकाल के दौरान अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं / हम आगे का भुगतान और रूपये की राशि बयाना संलग्न है। 2,000 / - (दो हजार मात्र) अनुबंध के अंतिम पुरस्कार तक बीआईएस के साथ रहेगा, जो तकनीकी बोली के साथ, नागपुर में देय भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में। हालांकि, कोई ब्याज बयाना पैसे पर देय होगा। सफल बोलीदाता के बयाना सुरक्षा जमा के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

फर्म की मुहर के साथ साथी का नाम या

अटार्नी की शक्ति होने पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति का नाम अनुबंध। वकील की शक्ति का (कॉपी प्रस्तुत किए जाने के साथ तुलना में किया जाएगा, जो

निविदा से सम्मानित किया है मामले में मूल)

निविदा दस्तावेज

विषयः में सुरक्षा सेवाओं के प्रदान करने के लिए कोटेशन भारतीय मानक, 2 तल, एनआईटी बिल्डिंग, Gokulpeth, जिला ब्यूरो – नागपुर

लिफाफा-1: तकनीकी बोली (सीलबंद कवर में-मैं तकनीकी बोली के रूप में superscripted)

कार्य का नामः अनुबंध भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में सुरक्षा सेवाओं के प्रदान करने के लिए

सामग्री और पात्रता मानदंड

निविदा दस्तावेज की तकनीकी बोली:

- 1. निविदाकर्ता / बोलीदाता इन क्षेत्रों में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होगा और आत्म निविदा दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित प्रस्तुत करेगा:
 - a. निजी सुरक्षा एजेंसियों के तहत लाइसेंस (विनियमन) अधिनियम, 2005 और संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहां के तहत बनाए गए नियमों।
 - b. पीएफ कोड नंबर के साथ पीएफ पंजीकरण।
 - c. ईएसआई पंजीकरण
 - d. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा जारी वैध लाइसेंस (यानी सरकार। एमएस)।
 - e. इसी तरह की प्रकृति के कार्यों का विवरण केन्द्रीय / राज्य सरकार में किए गए। निकायों / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / उद्योगों / कारखानों / या इसी प्रकार के अन्य संगठन। 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों में।
 - f. पंचाट मामलों की सूची (यदि हो तो) उपक्रम
 - g. सर्विस टैक्स और पैन नंबर का प्रमाण पत्र / आवंटन पत्र की प्रतियां।
 - h. प्रबंधकीय, स्वामित्व के विवरण उपक्रम
 - i. नागपुर के उपक्रम में तैनाती के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव की पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता की पुष्टि एजेंसी के उपक्रम
 - j. अंतिम आय कर रिटर्न की कॉपी
 - k. चेक लिस्ट (अनुबंध- IV) के रूप में वर्णित अन्य दस्तावेज।
- 2. 1e में विस्तृत कार्यों के लिए प्रदान की जाती प्रमाण पत्र) ऊपर परिभाषित समान काम करता है के अनुरूप पृष्टि करने के क्रम में, गुंजाइश है और किए गए काम की प्रकृति और निष्पादित के रूप में काम के विभिन्न घटकों के मूल्य का संकेत स्पष्ट रूप से करेगा।
- 3. आवश्यक सुरक्षा कर्मियों की संख्या अनुबंध- 1 में दिए गए हैं
- 4. निविदाकर्ता / बोली लगाने वाले वह अनुबंध II के अनुसार इस तरह के सुरक्षा सेवाओं के कार्य शुरू किया है, जहां संगठनों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

- 5. सामान्य नियम और अनुबंध की शर्तों को निविदाकर्ता / बोलीदाता द्वारा पूरा किया जाना अनुबंध III में दिया जाता है और बोली लगाने के लिए उन्हें करने के लिए सहमत करने के एवज में प्रत्येक पृष्ठ पर तकनीकी बोली के साथ विधिवत हस्ताक्षरित यह प्रस्तुत करेगा।
- 6. निविदाकर्ता / बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ अनुबंध चतुर्थ में दिए गए चेक-सूची के अनुसार विवरण प्रस्तुत करेगा।
- ग. बोली लगाने के लिए कानूनी तौर पर गठित इस तरह के निजी सुरक्षा एजेंसियों के तहत लाइसेंस (विनियमन) अधिनियम, 2005 और नियम के रूप में आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण के अधिकारी, जो डीजीआर के पैनल / पंजीकृत फर्मों फंसाया एक मालिकाना फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी लिमिटेड, निगमित निकाय हो सकता है वहाँ संबंधित राज्य सरकार द्वारा तहत। आदि बोली जमा करने की अंतिम तिथि पर कानून के अनुसार और वैध के रूप में
- 8. बोली लगाने वाले विदर्भ के किसी भी जिले में एक कार्यालय होना चाहिए (एमएस)
- 9. मालिक / फर्म / साथी या कंपनी (एजेंसी) के खिलाफ पुलिस के पास लंबित कोई मामला नहीं होना चाहिए। फर्म उनकी बोली के साथ इस तरह के एक उपक्रम देना चाहिए।
- 10. बोली लगाने वाले को नागपुर में किसी वाणिज्यिक बैंक और देय पर तैयार की भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में मांग draft द्वारा तकनीकी बोली के साथ बोली सुरक्षा Rs.2,000.00 की (ईएमडी) (दो हजार रुपए केवल) का भुगतान करेगा। बोलियों को खारिज कर दिया खड़ा करेगा बयाना जमा (ईएमडी) के बिना प्राप्त किया और इस प्रकार किसी भी स्तर पर मूल्यांकन आदि के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ब्याज के बिना बोली सुरक्षा अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीदाताओं को लौटा दी जाएगी।
- 11. ऊपर की मांग के रूप में सफल एजेंसी द्वारा जमा ईएमडी सुरक्षा जमा करने की दिशा में समायोजित किया जाएगा। सफल बोलीदाता काम के पुरस्कार के पत्र के जारी होने के बाद 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सुरक्षा जमा और ईएमडी के बीच अंतर राशि प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो समय विस्तार भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर द्वारा प्रदान की गई है, जब तक कि उसकी बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी
- 12. बोली वैध हो सकता है और निविदाएं खोलने की तारीख और उद्धृत दरों और सफल बोलीदाता द्वारा किसी भी आधार पर निविदा की वापसी में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध से 90 दिनों की अविध के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए खुला होगा मनोरंजन किया जाएगा।
- 13. एक समझौते के संलग्न नमूने के अनुसार सफल बोली लगाने वाले के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- 14. काउंटर नियम व शर्तें अनुमति नहीं दी जाएगी भी किसी भी परिवर्धन / विलोपन या हमारे प्रारूप में परिवर्तन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 15. निविदाएं में सभी प्रविष्टियां स्याही या टाइप में लिखा होना चाहिए। ओवर-लेखन से परहेज किया जाना चाहिए। सुधार यदि कोई हो बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए।
- 16. निविदाएं ईएमडी / निविदा शर्त को पूरा नहीं कर बिना / खुला हालत में / (डाक देरी सहित) देर से प्राप्त / किसी भी संबंध में अधूरी अस्वीकार किया जा सकता है।
- 17. बोलीदाताओं ध्यान से निविदा दस्तावेज और उनकी बोली उद्धृत करने से पहले की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सलाह दी जाती है। निविदा प्रपत्र की सभी पृष्ठों स्वीकृति की निशानी के रूप में बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- 18. दरों शब्दों और अंकों में दोनों संकेत किया जाना चाहिए। चित्रा (संख्या) और शब्दों के बीच विसंगति के मामले में, केवल प्रमाणित और आगे कोई स्पष्टीकरण के रूप में ले जाया जाएगा शब्दों में (बोली में सेवा कर सिहत) दिया दरों में बोली लगाने से मांग की जाएगी।
- 19. कोई भी पार्टी उनके पास रिश्तेदारों के किसी भी अनुबंध के पुरस्कार और निष्पादन के साथ जुड़े एक कर्मचारी है, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर, में काम करने के लिए निविदा के लिए अनुमित दी जाएगी। उन्होंने यह भी अंतरंग किसी भी क्षमता में उनके साथ काम करने या बाद में उनके द्वारा नियोजित और जो कर रहे हैं जो लोगों के नामों का भारतीय मानक ब्यूरों के या राज्य या केंद्र सरकार में किसी भी कर्मचारी के पास रिश्तेदार हैं जाएगा। उल्लंघन अनुबंध की और खाते पर बीआईएस के लिए उपलब्ध सभी अधिकार और उपचार व्यायाम करने के लिए प्रतिबद्ध होने के रूप में अनुबंध ठेकेदारों के इलाज के लिए भारतीय मानक ब्यूरों के हकदार होगा सम्मानित किया गया है के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के ध्यान में आता है, जो इस हालत का कोई उल्लंघन उसका।
- 20. बयाना की स्थिति में जब्ती के लिए उत्तरदायी है: (a) प्रस्ताव की वैधता अविध के दौरान की पेशकश की वापसी, (b) जब रखा आदेशों की गैर स्वीकृति अथवा (c) प्रस्ताव की नियुक्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर आदेश की स्वीकृति की गैर पुष्टि।,(d) प्रस्ताव की वैधता अविध के दौरान बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी एकतरफा संशोधन।
- 21. ठेकेदार को हर समय है, उसका / उसकी स्थापना के लिए लागू मजदूरों / कर्मियों और भी दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम / नियम अनुबंध और भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में उन्हें उपलब्ध बनाने के लिए लागू विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखने चाहिए। इस तरह के रिकॉर्ड की सांकेतिक सूची उदाहरण के लिए दिया जाता है: (a) कामगार के लिए रजिस्टर (b) रोजगार कार्ड(श्रमिकों के लिए जारी किए जाने वाले) (c) मुआयना तालिका (d) मजदूरी के लिए रजिस्टर (e) वेतन पर्ची (f) ओटी रजिस्टर आदि.
- 22. ऊपर रिकॉर्ड और ठेकेदार की ओर से दायर निम्निलिखित रिटर्न प्रशासन के लिए उत्पादन किया जाना है। भारतीय मानक ब्यूरो, मांग और इन अभिलेखों की मूल / फोटोकॉपी पर नागपुर विभाग के अनुबंध के पूरा होने के बाद सौंप दिया जाना चाहिए।

- (a) फार्म में वापसी 5, 10 और 12 मासिक कर्मचारी भविष्य निधि एवं सांसद अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत की है जो एक। (b) धारा के तहत अंशदान (फार्म 5) का सारांश। ईएसआई अधिनियम के 44 विनियमन 25, 1948 भी वापसी सेकंड के तहत दायर की। 44, मासिक वापसी के साथ साथ उक्त अधिनियम के विनियम 26। (c) ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के नियम 82 (1) के तहत प्रपत्र XXIV में अर्धवार्षिक वापसी। (d) कर्मचारी भविष्य निधि एवं सांसद अधिनियम, 1952 के तहत प्रपत्र 3 ए / 6A में दायर वार्षिक विवरणी। (e) न्यूनतम मजदूरी के रूप तृतीय नियम 21 (4 ए) अधिनियम, 1948 में वार्षिक रिटर्न (f) किसी भी अन्य लागू विवरण।
- 23. ठेकेदार भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर द्वारा अनुबंध के पुरस्कार की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर ठेका श्रम अधिनियम के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में ठेका श्रम / कार्मिक संलग्न करने के लिए केन्द्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए,.
- 24. ठेकेदार अपने संविदात्मक दायित्वों से बाहर ले जाने के लिए तैनात अपने कामगार को मजदूरी का भुगतान अनुबंध की अविध के दौरान लागू के रूप में, समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी कि यह सुनिश्चित करेगा। के रूप में और मजदूरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, जब संशोधित मजदूरी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- 25. ठेकेदार पर या हर अगले महीने की 7 वीं से पहले अपने कामगार को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। मजदूरी के भुगतान के प्रयोजन के लिए अधिसूचित एक जगह और समय पर, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा।
- 26. मजदूरी मजदूरी अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत उन लोगों को छोड़कर किसी भी कटौती के बिना काम करनेवाले को भुगतान किया जाएगा।
- 27. ठेकेदार / उसके कामगार छुट्टियों प्रदान कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए लागू अधिनियम / नियम के अनुसार मजदूरी के साथ छोड़ देना चाहिए।
- 28. भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर, ठेकेदार ईएसआई / पीएफ बकाया राशि प्रेषित होने के लिए सबूत का उत्पादन करने में विफल रहता है, तो बिलों रोक के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। लगातार महीनों के लिए भुगतान पिछले महीने के कार्यकर्ता के खाते में ईएसआई / पीएफ के बयान के सबूत मिलने पर जारी किया जाएगा।
- 29. ठेकेदार उन्होंने यह भी उप ठेकेदारों या मजदूरों के रूप में इस कार्यालय में काम कर रहे हैं, जो अपने बेटे और रिश्तेदारों की सूची देना चाहिए उसका मतदाता पहचान पत्र, पैन, आवासीय पते, शैक्षिक योग्यता आदि की सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए है। ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठेकेदार इस आशय का एक उपक्रम दे दिया है।
- 30. ठेकेदार के कर्मियों के किसी भी चोरी या किसी भी अवैध / अनियमित गतिविधियों, दुराचार में भोगता है, तो ठेकेदार इस कार्यालय के साथ विचार-विमर्श करके कानून और इसके दोषी कर्मियों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई करने और इस कार्यालय को की गई कार्रवाई की सूचना

देगा। यदि आवश्यकता हो, प्राथिमकी स्खिलत किमयों के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। गतिविधियों के इस प्रकार में भोगता है जो इस तरह के किमयों, किसी भी मामले में ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय में आगे नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

- 31. नियम और शर्तों में या समझौते में या तो खंड के एक दोहराव नहीं है, जब भी भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के लिए फायदेमंद है, जो खंड, किसी भी वैधानिक नियमों का पालन / किसी भी विवाद के समय लागू माना जाएगा।
- 32. अनुबंध समझौते स्वीकृति का पत्र जारी होने के 21 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा एक अनुबंध को क्रियान्वित करने की इस हालत के गैर पूर्ति ईएमडी के पुरस्कार और जब्ती के विलोपन के लिए पर्याप्त जमीन का गठन होगा।
- 33. देर बोलियों का विचार नहीं किया जाएगा, रसीद की निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों अर्थात्।
- 34. परिणामी अनुबंध भारतीय कानूनों के तहत व्याख्या की जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा घोषणाः

इस पढ़ा है और पूरी तरह से समझ यहाँ निहित सभी नियम और शर्तों और उनके द्वारा पालन करने के लिए अपने आप को / खुद का कार्य किया है इस निविदा हस्ताक्षर करने से पहले कि मैं / हम प्रमाणित किया जाता है।

संलग्न: डीडी / पे ऑर्डर नं.

नियम एवं शर्तें (प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किए और मुहर के साथ टिकट लगा होना चाहिए) वितीय बोली।

(मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम:

सील:

पताः

दिनांक: फोन नं (ओ):

नोट: घोषणा के साथ-साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने, अनिवार्य है। बोली प्रस्तुत करना होगा ऊपर दस्तावेजों में से कि

संलग्नक-1

सुरक्षा कर्मियों सेवाओं की आवश्यकता पर भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर,

अ. क्र.	विवरण	व्यक्ती की संख्या
1	अर्ध कुशल सुरक्षा गार्ड (न्यूनतम 10 वीं पारित)	01

संलग्नक-II

सुरक्षा ठेके पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए, जहां अन्य संगठनों का विवरण (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)।

सुरक्षा ठेके किए गए थे, जहां अन्य संगठन का प्रोफार्मा युक्त विवरण।

अ.क्र.	नाम एवं	आपूर्ति	कांटैक्ट	सरकार / अर्द्ध चाहे	कांटैक्ट	समाप्ति का
	संगठन	किए गये	की	सरकार / स्वायत	की	कारण
	का पता	सुरक्षा	अवधि	निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के	धनराशि	(अगर
	संपर्क नंबर	कर्मियों		उपक्रमों / इंडस्ट्रीज /		वर्तमान में
		संखा		एनजीओ		वैध नही है
				आदि (pl specify)		तो)
1						
2	_					
3		_				

यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक अनुबंध के लिए लिफाफा नंबर 1 तकनीकी बोली "में दिए जाने की सुरक्षा सेवाओं के नियम और सुरक्षा सेवाओं के लिए अनुबंध की शर्ती (समझौते के अनुबंध)

A) **काम की गुंजाइश:** सुरक्षा कर्मियों के लिए आवश्यक संख्या की तैनाती से नागपुर 440,010 (एमएस) - भारतीय मानक, 2 तल, एनआईटी बिल्डिंग, Gokulpeth, जिला ब्यूरों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।

B) नियम एवं शर्तै:

- 1. कहा अनुबंध एक ही नियम व दोनों पक्षों की आपसी सहमित के अधीन और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन शर्तों के साथ एक वर्ष की अधिकतम अविध के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए शुरू में होगी अनुबंध की। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में समझौते समझौते के लिए किसी भी पार्टी द्वारा लिखित रूप में दो महीने का नोटिस देकर समाप्त है।
- 2. ठेका एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के परिसर में निम्न सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा:
- a. कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सामग्री / उपकरण, स्थापना और इमारतों, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में अन्य संरचना आदि जैसे बीआईएस संपत्ति।
- b. व्यवस्था उद्घाटन और पहले इमारतों और कमरे के समापन में भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के नियमित कर्मचारियों की सहायता करने के लिए और बाद कार्यालय समय के रूप में आवश्यक हो / काम कर रहा है और बंद के दिनों में ब्यूरो द्वारा निर्देशित;
- c. जैसा भी मामला हो दरवाजों / आदि खिड़िकयां, बिजली के बल्ब, पंखे, एसी, पानी के नल, कार्य दिवसों पर काम के घंटे के बाद और साथ ही दिनों की छुट्टी पर खुला नहीं छोड़ रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए; इसके अलावा सभी बाहरी रोशनी शाम में चालू कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए और सूर्योदय पर बंद करने के लिए;
- d. रखरखाव और रिकॉर्ड आवक की और पुरुषों और सामग्री की जावक आंदोलन और समय-समय पर ब्यूरो द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही पर उचित जांच होने के बारे में व्यवस्था;
- e. अच्छी तरह से जाँच और अंदर और बीआईएस के बाहर अनधिकृत आइटम का ट्रैक आंदोलन करने के लिए सभी निवर्तमान / आने वाले वाहनों की जांच कर रहा है;
- f. केवल अधिकृत व्यक्तियों (बीआईएस कर्मचारियों और अन्य लोगों के कर्मियों लगे सेवाएं प्रदान करने के लिए) के प्रवेश द्वार सुनिश्चित करें। आगंतुकों गेट पर उचित प्रविष्टि के साथ मंजूरी दे दी प्रक्रिया के अनुसार आगंतुक पर्ची के माध्यम से ही प्रवेश कर सकते हैं और केवल संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए। यह भी इस कर्तव्य फर्म लेकिन सभ्य व्यवहार के साथ ईमानदारी से छुट्टी दे दी है कि यह स्निश्चित किया जाना चाहिए।

- g. तैनात सुरक्षा कर्मियों को चौकसी रखने और सतर्क रहने के लिए परिसर की नियमित दौर में ले जाएंगे।
- h. सुरक्षा और हाउस कीपिंग के सभी मामलों के बारे में ब्यूरो को सूचित करें;
- प्रबंधन रखने के लिए सभी सुरक्षा मामलों, खुिफया के बारे में सूचित या श्रमिक संघ की बैठकों,
 आदि
- j. से निपटने के नमूनों में सहायता करने के लिए, आदि
- 3. सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्ड के तहत के रूप में काम दिया जाएगा: कोई पोस्ट सुरक्षा कर्मियों की पारी के परिवर्तन की अविध के दौरान किसी भी गार्ड के बिना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के कर्तव्यों के समय के ओवरलैप के लिए की आवश्यकता है।

अ.क्र.	तैनाती का समय	मेन गेट
1	9.30 hrs- 18.00 hrs	1

नोटः सुरक्षा एजेंसी कम करने के लिए एक लेडी गार्ड उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता देना चाहिए अविध / विशिष्ट सेवा के रूप में और भविष्य में जरूरत पड़ने पर।

रिलीवर पद के आरोप लगते बाद ही गार्ड को उनके कर्तव्य पदों छोड़ जाएगा। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर व्यवस्था ब्यूरो के हित में अधिक उपयुक्त माना किसी अन्य तरीके से सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के अधिकार पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना है।

- 4. तैनात सुरक्षा कर्मियों को स्वस्थ और सक्रिय हो जाएगा। कोई भी किसी भी संक्रामक रोगों की नहीं होगी।
- 5. तैनात सुरक्षा कर्मियों चालाकी एजेंसी के उचित वर्दी में और हमेशा पहचान पत्र के साथ तैयार किया जाएगा। एजेंसी पूरी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मियों को प्रदान करेगा
- 6. पर्यवेक्षक के रूप में अच्छी तरह से सुरक्षा गार्ड अधिमानतः भूतपूर्व सैनिक या ठीक से अग्निशमन सिहत सुरक्षा से संबंधित काम में प्रशिक्षित किया जाएगा। वे भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में स्थापित विभिन्न आग नियंत्रित उपकरणों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- 7. ठेकेदार वर्दी के बारे में सभी खर्चों का वहन करेगा, लागू साप्ताहिक बंद और सिहत विभिन्न श्रम कानून के प्रावधानों से उसके द्वारा लगे हुए हैं और उसका पालन सुरक्षा कर्मियों के लिए संबंधित के रूप में उनकी पहचान काई, मुआवजा, मजदूरी और भते (डीए), पीएफ, ईएसआई की तैयारी, काम करने के घंटे। ठेकेदार जो भी कारण के लिए ब्यूरो द्वारा बिल के भुगतान में देरी की परवाह किए बगैर, पर या हर अगले महीने की 7 वीं से पहले सुरक्षा कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करेगा। समय से अर्ध कौशल के लिए समय के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी भुगतान की तुलना में कम नहीं होगी देय मजदूरी; ठेकेदार ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए भुगतान की जाने वाली मजदूरी के अलावा सेवा शुल्क के अपने दर बोली होगी। ठेकेदार श्रमिकों ईपीएफ नंबर और ईपीएफ, ईएसआई आदि के रूप में लागू भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में उसके द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों के संबंध में पिछले महीने के लिए हर महीने के प्रस्तुत करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, और दस्तावेजी सबूत नहीं है, जिसके लिए राशि में कोई अंतर के मामले में प्रदान नहीं किया गया, भारतीय मानक ब्यूरो नागपुर के बिल से तदनुसार राशि घटा करने का अधिकार है। संबंधित कार्यकर्ता के खाते में applicble ईएसआई और ईपीएफ राशि जमा है, यह श्रम नियम / कानून और

अधिनियम के सभी निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसी विशेष रूप से शामिल है, लेकिन निम्न और उनके reenactments / संशोधन / सुधार के साथ करने के लिए सीमित नहीं विभिन्न श्रम कानूनों / अधिनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर, ठेकेदार ईएसआई / पीएफ बकाया राशि प्रेषित होने के लिए सबूत का उत्पादन करने में विफल रहता है, तो बिलों रोक के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। लगातार महीनों के लिए भुगतान पिछले महीने के कार्यकर्ता के खाते में ईएसआई / पीएफ चालान, बैंक पासबुक आदि के बयान के सबूत मिलने पर जारी किया जाएगा।

- a. मजदूरी का भुगतान 1936 अधिनियम
- b. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
- c. फैक्टरी अधिनियम, 1948
- d. ठेका श्रम (विनियमन) अधिनियम, 1970
- e. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- f. बच्चों के रोजगार अधिनियम, 1938
- g. मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- h. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- 8. ठेकेदार द्वारा तुरंत प्रभावित हो जाएगा ब्यूरो द्वारा आवश्यकता के रूप में किर्मियों के प्रतिस्थापन; ठेकेदार के किर्मियों के किसी भी जगह के लिए चाहता है, एक ही ब्यूरो के साथ की परामर्श / अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। किर्मियों के पूरे ब्यौरे के नाम और पते के वे वास्तव में इस काम के लिए तैनात किए गए हैं पहले प्रशंसापत्र के साथ-साथ ब्यूरो को प्रस्तुत किया जाएगा सिहत ठेकेदार द्वारा तैनात किया जाना है। हालांकि प्रतिस्थापित किर्मियों के लिए सम्मान के साथ, उनके ईएसआई और ईपीएफ का भुगतान इस संबंध में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य के लिए ब्यूरो के अधीन द्वारा विचार किया जाएगा। समझौते के एक ही नियमों और शर्तों को भी विकल्प के कार्यकर्ता पर भी लागू होगी, और ठेकेदार ऐसे कार्यकर्ता की ईपीएफ और ईएसआई खाते सिहत पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 9. सुरक्षा कर्मियों को समय-समय पर और बाद में अनुबंध को अंतिम रूप देने या के समय में ब्यूरो द्वारा फैसला किया और संकेत दिया जा सकता है कि काम के किसी भी अन्य जानकारी के लिए अधिकृत व्यक्ति से निर्देश ले लेगा;
- 10. a. ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा प्रकाश व्यवस्था बता कथा घड़ियां, मशाल की रोशनी, स्थिर, दीपक, के रूप में उपकरण
 - b. सुरक्षा ठेकेदार के पंजीकृत कार्यालय (एमएस) के विदर्भ क्षेत्र के भीतर हो जाएगा।
- 12. कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई एक मौत या दुर्घटना के मामले में मुआवजे दायित्व केवल ठेकेदार के साथ आराम करेंगे।
- 13. किसी भी चोरी या pilferages, हानि या अन्य अपराधों के मामले में ठेकेदार की जांच करेंगे और पुलिस के साथ संपर्क ब्यूरो को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और बनाए रखने के लिए। एफआईआर की आवश्यकता पर

- आयोजित किया जाएगा और जिम्मेदारी pinpointed / तय किया जा दोनों दलों के शामिल संयुक्त जांच हो, तो जहां आवश्यक हो, ब्यूरो द्वारा दर्ज कराई जाएगी;
- 14. पसंद एक ही दर के मामले में आईएसओ 9001 प्रति के रूप में मान्य गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र होने के ठेकेदार (एस) के लिए दिया जा सकता है।
- 15. A. ठेकेदार उनके द्वारा नियुक्त कि सुरक्षा कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए भी चलाती है कि पूरी तरह से वफादार करने और सामान्य अविध के दौरान के साथ ही ब्यूरों की पूरी संतुष्टि के लिए जंगम और अचल दोनों कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हड़ताल और अन्य आपात स्थितियों के दौरान ब्यूरों की सहायता b. ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि (मालिक / निदेशक / भागीदार / प्रबंधक) व्यक्तिगत रूप से प्रदान की गई सेवाओं पर एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए महीने में एक बार वैज्ञानिक 'एफ' और भारतीय मानक ब्यूरों, नागपुर के प्रमुख या भारतीय मानक ब्यूरों, नागपुर में प्रशासन के आरोप में कार्यालय से संपर्क करेगा ठेकेदार अर्थात एक-अर्थात सुधारात्मक कार्रवाई की सेवाओं को और अधिक कुशल या किसी भी अन्य संबंधित मुद्दा बनाने के लिए जरूरी है।
- 16. छुट्टी / अनुपस्थित पर की जा रही सुरक्षा कर्मियों की घटना में, ठेकेदार उपयुक्त सुनिश्चित करेगा वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी अनुपस्थिति के लिए बनाने के लिए।
- 17. a. सफल बोलीदाता डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से सुरक्षा जमा करने की दिशा में मूल्य की वार्षिक अनुबंध के 10% की राशि जमा करने के लिए होता / एफडीआर अनुबंध की अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के साथ रहना होगा और कोई ब्याज पर देय होगी जो भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के पक्ष में सुरक्षा राशि।
 - b.अपने प्रचलित दरों के अनुसार ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर मामलों की जांच, विशेष खुफिया जांच और सत्यापन के रूप में इस तरह के किसी भी विशेष स्रक्षा सेवाओं, ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
- 18. ठेकेदार, सुरक्षा बूथ पर उसे उनके आगमन और प्रस्थान के समय दिखा द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड की दैनिक पारी के लिहाज से उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए व्यवस्था करेगा। उपस्थिति रिकॉर्ड समय के किसी भी अन्य बिंदु पर ब्यूरो द्वारा मांग पर सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- 19. यह तैनात सुरक्षा गार्ड (सत्यापित फोटो के साथ) उपलब्ध कराई गई सूची से अलग कर रहे हैं, और कोई अनुमित नहीं लिया गया है, जिसके लिए ब्यूरो को अपने अधिकार के भीतर कुछ ठीक हो जाएगा कि ब्यूरो के संज्ञान में आने के समय के किसी भी बिंदु पर हैं ड्यूटी पर पहचान गार्ड की संख्या के खिलाफ प्रत्येक गार्ड के लिए नहीं मासिक वेतन का 10% से अधिक जुर्माना लगाया।
- 20. ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा पर्यवेक्षक कम से कम हाई स्कूल से पारित कर दिया योग्यता नहीं होगी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवाओं के गैर-अनुपालन / गैर-प्रदर्शन के मामले में ब्यूरो अनुबंध के अन्य प्रावधानों के तहत अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल से उपयुक्त कटौती बनाने के लिए आजादी होगी।
- 21. ठेकेदार ब्यूरो को उपलब्ध कराई विश्वसनीय सबूत के साथ उसके द्वारा नियोजित और तैनात श्रमिकों के सभी भुगतान / बकाया राशि के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। घटना में, ब्यूरो किसी भी भुगतान करता है या किसी भी दायित्व incurs; ठेकेदार पूरी तरह से जांच ब्यूरो क्षतिपूर्ति करेगा;
- 22. इस समझौते के फिर सिर, भारतीय मानक ब्यूरो से उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में, नागपुर बीआईएस के किसी भी अधिकारी लागू होगा विवाद और पंचाट अधिनियम के प्रावधानों में शामिल मुद्दे पर निर्णय करने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ मनोनीत करेंगे।
- 23. सेवाओं और समझौते के किसी भी खंड की व्याख्या उपलब्ध कराने के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, नागपुर कोर्ट बसा है और सभी विवादों तय करने के अधिकार क्षेत्र में होगा।

- 24. समय सुरक्षा कर्मियों के किसी भी बिंदु पर कर्तव्य प्रदर्शन पर कमी पाए जाते हैं (कर्तव्य जगह पर मौजूद नहीं जैसे इ्यूटी के घंटे के दौरान सो, गैर अनुपालन मौखिक रूप से या आदि लिखित में ब्यूरो के निर्देश), एक उपयुक्त दंड लगाया जाएगा 10% से अधिक नहीं चिंतित सुरक्षा कर्मियों के संबंध में ठेकेदार द्वारा इस तरह के गार्ड को देय मासिक मजदूरी की। पहले खंड में वर्णित के रूप में जुर्माना खंड के अलावा
- 25, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर नष्ट हर्जाना लगाने के लिए स्वतंत्रता पर है। नियमानुसार 26. आयकर टीडीएस लागू कानूनों के अनुसार ठेकेदार / एजेंसी के बिल से कटौती की जाएगी।
- 27. के रूप में और ब्यूरो अस्थायी या आपात स्थिति के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा शिक्त की आवश्यकता है, जब ठेकेदार यथानुपात दरों के अनुसार इस तरह के सुरक्षा किमयों को तैनात करेगा। उसी के लिए, दो दिन का नोटिस ब्यूरो द्वारा दिया जाएगा।
- 28. ईएमडी (बोली सुरक्षा) की जब्ती: ईएमडी निम्निलिखित मामलों में जब्त कर लिया जा सकता है: (क) बोलीदाता के वापस लेने या बोली की वैधता अविध के दौरान अपनी बोली में फेरबदल। (ख) के प्रस्ताव की वैधता अविध के दौरान की पेशकश की वापसी, (ग) के आदेश के गैर स्वीकृति रखा गया है, या (घ) की पेशकश की नियुक्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर आदेश की स्वीकृति की गैर पुष्टि करते हैं।, (ई) किसी भी प्रस्ताव की वैधता अविध के दौरान बोलीदाता द्वारा किए गए एकतरफा संशोधन।
- 29 किसी भी संदर्भ के बिना समझौते को रद्द करने को आकर्षित करेगा तथ्यों के निर्देश / समझौते या दमन की किसी भी उल्लंघन है।
- नोट: में संकेत के रूप में इन नियमों और शर्तों अनुबंध / करार का हिस्सा हैं भारतीय मानक ब्यूरो और एजेंसी और किसी भी गैर-अनुपालन के बीच समझौते के उल्लंघन के रूप में समझा जाएगा अनुबंध / करार।

संलग्नक--IV

जांच सूची (तकनीकी बोली) निविदा की आवश्यकता के अनुपालन का सारांश

अ.क्र.	आवश्यकता का विवरण	हाँ / नहीं	पृष्ठ क्र.
1	फर्म को ठेका श्रम अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय	हाँ / नहीं	
	श्रम आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य सरकार) के साथ पंजीकृत है।		
2	भविष्य निधि आयुक्त का पंजीकरण प्रमाण पत्र	हाँ / नहीं	
3	सर्विस टैक्स नंबर के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी /	हाँ / नहीं	
	आवंटन पत्र		
4	आयकर विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र / आवंटन पत्र पैन	हाँ / नहीं	
	की कॉपी		
5	ईएसआई का पंजीकरण प्रमाण पत्र	हाँ / नहीं	
6	सुरक्षा ठेके / (सहायक दस्तावेज संलग्न करें) किए जाते थे,	हाँ / नहीं	
	जहां अनुलग्नक अन्य संगठन का विवरण युक्त II के अनुसार		
	प्रोफार्मा		
7	2,000 / डीडी - ईएमडी के रूप में	हाँ / नहीं	
8	मूल्य बोली प्रोफार्मा पूरा और अलग लिफाफे में बंद	हाँ / नहीं	

	-	
9	Arbitratration मामलों की सूची (यदि लागू हो) इसे खाली छोड़	हाँ / नहीं
	मत करो। ऐसी कोई मामलों रहे हैं, तो "लागू नहीं" लिखें।	
10**	भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में तैनाती के लिए अपेक्षित	हाँ / नहीं
	योग्यता और (सुरक्षा और आग भयावह में) अनुभव की पर्याप्त	
	मानव शक्ति की उपलब्धता की पुष्टि एजेंसी के उपक्रम।	
11	संलग्न अनुबंध III के अनुसार नियम और शर्तों की स्वीकृति।	हाँ / नहीं
	नियमों और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ विधिवत स्वीकृति की	
	निशानी के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और निविदा दस्तावेज के	
	हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाना है।	
12	पिछले आय कर रिटर्न की कॉपी	हाँ / नहीं
13	सुरक्षा सेवा अनुबंध से संबंधित मालिक / फर्म / दलों के	हाँ / नहीं
	खिलाफ लंबित कोई पुलिस मामला है कि प्रभाव के लिए बोली	
	लगाने से उपक्रम।	
14	समान काम के लिए कम से कम एक वर्तमान में मान्य ठेके	हाँ / नहीं
15	निजी सुरक्षा एजेंसियों के तहत लाइसेंस (विनियमन)	हाँ / नहीं
	अधिनियम, 2005 और संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहां के	
	तहत बनाए गए नियमों।	
16	पर्यवेक्षक (एस) भारतीय मानक ब्यूरो में प्रतिनियुक्त किया	हाँ / नहीं
	जाना है कि प्रभाव के उपक्रम, नागपुर अग्निशमन सहित	
	सुरक्षा से संबंधित काम में प्रशिक्षित किया जाएगा।	
17	सुरक्षा कर्मियों बीआईएस के लिए प्रतिनियुक्त किया है कि	हाँ / नहीं
	प्रभाव के उपक्रम, नागपुर पुलिस सत्यापन के द्वारा जांच की	
	गई है जाएगा।	
18**	गार्ड और पर्यवेक्षकों की पर्याप्त की छुट्टी रिजर्व 'एजेंसी द्वारा	हाँ / नहीं
	रखा जाएगा कि इस आशय का उपक्रम	
19	मूल्य नहीं कम से कम 1.5 गुना राशि के साथ पिछले तीन	हाँ / नहीं
	साल के भीतर पहले पूरा समान काम करता है के सबूत	
	विधिवत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ब्यूरो के हवाले से	
	कहा जा करने के लिए।	
		•

- लागू नहीं करते हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान करें.
- ** चयनित बोलीदाता को ठेका वह इस कार्यालय पर तैनात जिसे सभी आवश्यक व्यक्तियों की योग्यता की सत्यापित फोटोकॉपी / अनुभव के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए है। ऐसा न होने ईएमडी और सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जा सकता है और निविदा एल -1 पूरी तरह से

जिम्मेदार होंगे, जिसके लिए अगले योग्य सबसे कम बोली लगाने के लिए सम्मानित किया जा सकता है।

निविदाकर्ता द्वारा घोषणाः

इस पढ़ा है और पूरी तरह से समझ यहाँ निहित सभी नियम और शर्तों और उनके द्वारा पालन करने के लिए अपने आप को / खुद का कार्य किया है इस निविदा हस्ताक्षर करने से पहले कि मैं / हम प्रमाणित किया जाता है।

Encls: 1. डीडी / पे ऑर्डर संख्या .

- 2. नियम एवं शर्तें (प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किए और बंद किया जाना चाहिए)
- 3. वितीय बोली। (मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम:

सिल1:

कार्यालय पताः

दिनांक:

फोन नं.∶

नोट: घोषणा के साथ-साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों के प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बोली प्रस्तुत करना होगा ऊपर दस्तावेजों में से किसी की गैर प्रस्तुत अस्वीकार कर दिया जाना

(50.00 गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किए जाने के लिए)

<u>मसौदा समझौता</u>

	इस सम	झौते पर रि	केया जाता	考			के र्व	देन दो ग्या	रह एक	भाग दे	ह रूप
में भ	गरतीय मान	क, 2 तल,	एनआईटी '	बिल्डिंग	ज्यूरो, Ga	kulpeth,	नागपुर 4	140,010, के	बीच, बा	द अन्य	भाग
पर	सुरक्षा	सेवाएं	प्रदान	करने	के	लिए	NGBC) और	एम	/	एस
						एजें	सी बुलाय	ा हजार ।			

बीआईएस जबिक, नागपुर नीचे परिस्थितियों और शर्तों को नागपुर में भारतीय मानक ब्यूरो के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी संलग्न करने के लिए इच्छुक है:

एजेंसी विभिन्न श्रम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। जैसे औद्योगिक और किसी भी अन्य कानून लागू करने और सभी वैधानिक दायित्वों, मजदूरी, भत्ते, भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में तैनात सुरक्षा कर्मियों से संबंधित मुआवजा, ईपीएफ, ईएसआई आदि। भारतीय मानक ब्यूरो, इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

- एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो में यह द्वारा तैनात कर्मियों के लिए किसी भी दुर्घटना / चिकित्सा
 / स्वास्थ्य संबंधी दायित्व / क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। भारतीय मानक
 ब्यूरो, इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
- 3. तथ्यों के निर्देश / समझौते या दमन का कोई उल्लंघन किसी भी संदर्भ या किसी भी नोटिस की अविध के बिना समझौते को रद्द करने को आकर्षित करेगा।
- 4. अनुबंध दोनों तरफ दो महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
- 5. अनुबंध का पालन न करने के मामले में ब्यूरो को अपने अधिकार सुरक्षित रखता है:
 - a) / अनुबंध रद्द कर देंगे और / या
 - b) अनुबंध की कुल वार्षिक मूल्य का 10% तक जुर्माना लगाने।
- 6. भुगतान आदेश / डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में (अनुबंध की समाप्ति के दो महीने के बाद बिना ब्याज के वापस) वार्षिक अनुबंध मूल्य के 10% के बराबर सुरक्षा जमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 7. एजेंसी इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी की उपस्थिति में हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का समय पर मासिक भुगतान और भारतीय मानक ब्यूरो में तैनात कर्मियों के लिए किसी भी अन्य देय राशि, के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, भुगतान के लिए अपने बिल प्रस्तुत करते समय एजेंसी भी ईएसआई और ईपीएफ राशि प्रस्तुत होने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे (नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान दोनों) बिल उठाया है जिस अविध के लिए कार्यकर्ता के संबंधित खाते में, की प्रतियां चालान और कामगार ईएसआई खाता कार्ड / सिर्टिफिकेट।
- 8. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा कर्मियों (बीआईएस, नागपुर) के कर्मचारियों बनने के लिए दावा नहीं करेगा और भारतीय मानक ब्यूरो में तैनाती के लिए एजेंसी द्वारा लगे कर्मियों के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नहीं होगा।
- 9. महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संशोधित सांविधिक मजदूरी की प्रतिपूर्ति छोड़कर अनुबंध की अवधि के दौरान एजेंसी को देय दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। के रूप में और जब मजदूरी राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है। महाराष्ट्र, संशोधित मजदूरी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- 10 एजेंसी भी बहां समय-समय पर कब्जा कर लिया नियमों और शर्तों और संशोधनों के साथ पालन करने के लिए सहमत हैं। नियम और शर्तों और समझौते की व्याख्या करने के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरों के
- 11. निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।
- 12. एजेंसी अपने कर्मचारियों को वर्दी और पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। एजेंसी और भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर के बीच किसी भी विवाद के मामले में 13। भारतीय

मानक ब्यूरो, तय करने का अधिकार होगा। हालांकि, अधिकार क्षेत्र के सभी मामलों जिले में स्थित स्थानीय अदालतों में की जाएगी। नागपुर।

- 14. ईएमडी जब्ती (बोली सुरक्षा): ईएमडी निम्निलिखित मामलों में जब्त कर लिया जा सकता है: (क) बोलीदाता के वापस लेने या बोली की वैधता अविध के दौरान अपनी बोली में फेरबदल। (ख) के प्रस्ताव की वैधता अविध के दौरान की पेशकश की वापसी, (ग) के आदेश के गैर स्वीकृति रखा है, या जब
 - (घ) की पेशकश की नियुक्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर आदेश की स्वीकृति की गैर (ई) प्रस्ताव की वैधता अविध के दौरान बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी एकतरफा संशोधन। सिक्योरिटी डिपॉजिट (निष्पादन गारंटी)
- 15. सिक्योरिटी डिपॉजिट (निष्पादन गारंटी) की जब्ती: सेवाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर की संतुष्टि तक उपलब्ध कराई गई या फर्म अनुबंध की विस्तारित अविध शामिल है जो अनुबंध की अविध में अपनी पेशकश वापस ले लेती है नहीं कर रहे हैं, तो सुरक्षा जमा (निष्पादन गारंटी) जब्त किया जा सकता है।

साक्षी में दोनों दलों का गठन किया है जिसका और गवाह की उपस्थिति में नागपुर में उनकी मुहर के साथ उनके संबंधित हाथों ग्राहकी ली है:

भारतीय मानक ब्यूरो, नागप्र

गवाह:

2.

एजेंसी

गवाह: 1.

2.

विषय: सुरक्षा सेवाओं के प्रदान करने के लिए वार्षिक अनुबंध

लिपाफे- 2: मूल्य बोली

सामग्री

1. लिपाफे नं. 2 दरों विधिवत निविदाकार / बोलीदाता द्वारा में भरे और हस्ताक्षर किए की अनुसूची की प्रतिलिपि यानी निविदा दस्तावेज के ही मूल्य बोली, होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की किसी

- भी व्यावसायिक या तकनीकी हालत या योग्यता अन्यथा निविदा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा, इस लिफाफे में निविदाकार / बोली लगाने वाले ने संकेत दिया नहीं किया जाएगा।
- 2. निविदाकार / बोलीदाता द्वारा भरे जाने की दरों की अनुसूची उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप संलग्न है।.

यह लिफाफा लिखा होना जाएगा "लिपाफे नं. 2 के लिए मूल्य बोली-वार्षिक अनुबंध सुरक्षा सेवाओं के प्रदान "

..20.

दरों की अनुस्ची (मूल्य बोली)

(एक अलग कवर बाजार में कीमत बोली के साथ संलग्न किया जाए ""लिपाफे नं. 2")

कार्य का नामः भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में सुरक्षा सेवाओं के प्रदान करने के लिए अनुबंध।

_	\	٠
सुरक्षा	सवार	Ţ

अ.	विवरण	अपेक्षित	किमान	पी.	ई	ठेकेदार व	का	सेवा	कुल प्रति
क्र.		की संख्या	वेतन (प्रति	एफ	एस	लाभ		कर	माह/व्यक्ति)
		कर्मियों	माह/व्यक्ति)	*	आय*			*	
			₹.						
1	Semi skilled Security Guard (Minimum High School Pass)								

महाराष्ट्र के आदेश के राज्य और के रूप में लागू की सरकार द्वारा निर्धारित रूप में उद्धृत दरों अर्ध कुशल की न्यूनतम मजदूरी के नवीनतम दरों की तुलना में कम नहीं होनी चाहिए। बोलीदाताओं उनके दरों के हवाले करते हुए (साप्ताहिक बंद, काल्पनिक छुट्टियों, आदि की तरह) के खाते में भुगतान के अन्य सभी कारकों पर विचार करने के लिए सलाह दी जाती है।

निविदाकर्ता द्वारा घोषणाः

इस पढ़ा है और पूरी तरह से समझ यहाँ निहित सभी नियम और शर्तों और उनके द्वारा पालन करने के लिए अपने आप को / खुद का कार्य किया है इस निविदा हस्ताक्षर करने से पहले कि मैं / हम प्रमाणित किया जाता है।

संलग्नक: 1. कोई अन्य शुल्क भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर द्वारा देय होगा

2. नियम व शर्तों के तहत प्रावधान को छोड़कर अनुबंध की अवधि के दौरान दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम

सिल

पता

फोन नं.

दिनांक: